

W.B. & SIKKIM GDC'S KOLKATA ROUTINE ORDER NO. 13 /37-G-11 DATED 30.11.2021

पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जीडीसी, कोलकाता के नेमी आदेश सं. 13 /37-G-11 दिनांक 30.11.2021

1. एम.टी.एस. के पद पर नियमित आधार पर नियक्ति REGULAR APPOINTMENT TO THE POST OF MULTI-TASKING STAFF (M.T.S.)

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित निम्नलिखित कर्मचारियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए विवरणानुसार, दिनांक 28.02.2022 तक अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो एम.टी.एस.के पद पर वेतन लेवल-1 (18000-56900) में नियमित आधार पर अस्थाई रूप से अराजपत्रित गैर-अनुसचिवीय संवर्ग में नियुक्त किया गया। ये कर्मचारी दिनांक 20-26 मई 2018 के भारत के राजपत्र (साप्ताहिक) के भाग-।। - खण्ड 3 – उप खण्ड(i) में प्रकाशित दिनांक 21 मई 2018 के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, बहुकार्य कर्मचारी वृन्द(समूह 'ग') भर्ती नियम, 2018 में वर्णित नियम एवं शर्तों से शासित होंगे।

The following employee nominated by the Staff Selection Commission has been appointed as M.T.S. of Non-Ministerial Cadre in Pay Level-1 (18,000-56,900) on Temporary basis till 28.02.2022 or further order, whichever is earlier. The employee will be governed by the terms & condition mentioned in Ministry of Science & Technology, Department of Science & Technology, Survey of India, Group 'C' Multi-Tasking Staff (Group 'C'), Recruitment Rules, 2018 dated 21 May, 2018 published in the PART II-Section 3-Sub-section (i) of Weekly Gazette of India dated May 20-May 26 of 2018.

क्रम	नाम	जन्म-तिथि	समुदाय	नियुक्ति की तिथि	शैक्षणिक योग्यता	टिप्पणी
सं	Name	Date of	Community	Date of	Educational	Remarks
Sl.		birth		appointment	qualification	
No.					_	
1.	Shri Rohit Raj S/o Sanjay Kumar Sinha	17-10- 1997	OBC	03-11-2021	BCA	

(प्राधिकार : i) भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं.स्था.3-224/1011-MTS दिनांक 13.07.2021)

He has been medically examined by Medical Officer and declared fit for

ii) इनका स्वास्थ्य परीक्षण सक्षम चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा करा लिया गया है एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा उन्हें सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया है।

ii)

government service by the Competent Authority.

- iii). इनके चरित्र एवं पूर्ववृत्तसत्यापन सक्षम प्राधिकारी द्वारा करा लिया गया है। सक्षम प्राधिकारी से कोई प्रतिकूल टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई है एवं उन्हें सरकारी सेवा के योग्य घोषित किया गया है। Character & Antecedents has been verified from the Competent Authority. No adverse remark has been received from the Competent Authority and he has been declared eligible for government service.
- iv). इस मद पर होने वाला व्यय पश्चिम बंगाल व सिक्किमभू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, कोलकाता के लिए वर्ष 2021-22 के आवंटित बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा तथा उचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा। The expenditure involved in his appointment will be met from the sanctioned budget grant for the Financial Year 2021-22 of WB & Sikkim GDC, Kolkata and debited to the appropriate Head of Account.

2. <u>एम0ए0सी0पी0 योजना के अंतर्गत तृतीय वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन</u> <u>THIRD FINANCIAL UPGRADATION UNDER MODIFIED ASSURED</u> <u>CARRIER PROGRESSION SCHEME- IMPLEMENTATION OF</u>

विज्ञान और प्राधोगिकी विभाग के पत्र सं॰ए-11019/1/2008-सी.डी.एन दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संखा-35034/3/2008-स्था(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण तथा महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्रांक J-593/2158-7th CPC दिनांक 21.01.2020 के अन्तर्गत जारी मंत्रालय के पत्र संख्या SM/04/13/2015 दिनांक 16.01.2020 एवं DoP&T के OM No.35034/32015-Estt.(D) दिनांक 22.10.2019 के Annexure के पैरा 6.1 के संदर्भ में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी सर्वेक्षकों के वेतनमान के लेवल 7 से लेवल 8 में Upgradation के सम्बन्ध में महासर्वेक्षक कार्यालय के पत्रांक J-1794/2158-7th CPC दिनांक 10.11.2020 के अन्तर्गत जारी मंत्रालय के पत्र संख्या SM/04/13/2015 दिनांक 09.11.2020 के निर्देशों के अनुपालन में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी0डी0सी0, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता में कार्यरत अधिकारी सर्वेक्षकों के संवर्ग में निम्नलिखित अधिकारी के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल -10 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया :-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) O.M.No. 35034/3/2008-Esst. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2008 and Ministry's letter number SM/ 04/13/2015 dated 16.01.2020 issued under S.G.'s letter No.J-593/2158-7th CPC dated 21.01.2020 and DoP&T's O.M.No.35034 / 32015-Estt. (D) dated 22.10.2019 with reference to para 6.1 of Annexure regarding upgradation of Pay Scale of Officer Surveyor of India from Level 7 to Level 8 compliance with instruction of Ministry's letter No. SM/ 04/13/2015 dated 09.11.2020 issued under S.G.'s letter No.J-1794/2158-7th CPC dated 10.11.2020, the following Officer Surveyor posted in West Bengal & Sikkim Geo-Spatial Data Centre, Survey of India, Kolkata is hereby granted **THIRD** Financial upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme in the Level -10 of pay matrix of Central Govt. civilian employee from the date mentioned against his name as under:-

क्रम सं	नाम एवं पदनाम	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि	प्राधिकार
	Name & Designation	Date from which MA	Authority
Sl.N		CP granted	
Ο.		J	
1.	Shri Ashutosh Chakrab	01.01.2019	महासर्बेक्षक के पत्र संख्या सी-53
	orty, Officer Surveyor	(Third)	64/1902-MACP-III(OS)(
			Coll.VIII)
			दिनांक 29.10.2021

कार्यालय अध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगें |

The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(1) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

iii) उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला / अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं माने जायेंगे |

If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.

iv) उपोरोक्त लाभ के कारण होने वाला व्यय गैर योजना बजट अनुदान 2021-22 से समायोजित किया जाएगा |
Expenditure involved on account of this benefit shall be adjusted from Non-plan Budget Grant for 2021-22.

3. एम**0**ए**0**सी**0**पी**0** योजना के अंतर्गत प्रथम वित्तीय उन्नयन का कार्यान्वयन FIRST FINANCIAL UPGRADATION UNDER MODIFIED ASSURED CARRIER PROGRESSION SCHEME- IMPLEMENTATION OF

विज्ञान और प्राधोगिकी विभाग के पत्र सं०ए-11019/1/2008-सी.डी.एन दिनांक 08-06-2009 के अंतर्गत प्राप्त कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) के कार्यालय ज्ञापन संख्या-35034/3/2008-स्था(डी) दिनांक 19-05-2009 में निहित अनुदेशों के अनुसरण में तथा कार्यालय ज्ञापन संख्या-35034/3/2015-स्था(डी) दिनांक 22-10-2019 के पैरा 17 में निहित निर्देशों के अनुसरण में आयोजित Review DSC के सन्दर्भ में पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी0डी0सी0, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता में कार्यरत निम्नलिखित सर्वेक्षक के नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से वेतन मेट्रिक्स के लेवल - 7 में केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारियों के लिए एम.ए.सी.पी. योजना के तहत प्रथम वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया जाता है :-

In pursuance of the instruction contained in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) O.M.No. 35034/3/2008-Esst. (D) dated 19-05-2009 received under Department of Science & Technology's letter No. A-11019/1/2008-CDN dated 08-06-2008 and as per Para 17 of O.M.No. 35034/3/2015- Esst. (D) dated 22.10.2019, the following Surveyor posted in West Bengal & Sikkim Geo-Spatial Data Centre, Survey of India, Kolkata is hereby granted **FIRST** Financial Upgradation under the Modified Assured Career Progression (MACP) Scheme in the **Level -7** of pay matrix of Central Govt. civilian employees from the date mentioned against his name as under:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	एम.ए.सी.पी. के लाभ की तिथि	प्राधिकार
Sl.No.	Name & Designation	Date from which MAC	Authority
		P granted	
1.	Shri Ansuman Sarkar, Surveyor	01-01-2018 (First)	महासर्बेक्षक के पत्र संख्या सी- 3251/1902-MACP-I (Surveyor) दिनांक 31.12 .2020

ii) एम.ए.सी.पी. से लाभन्वित कर्मी FR 22(I) (a) (1) के प्रावधान के अनुसार विकल्प पत्र प्रस्तुत करेंगें एवं तदनुसार कार्यालय अध्यक्ष वेतन निर्धारण करेंगें |

The individual concerned is required to exercise an option for fixation of Pay under FR 22(I) (a) (1) in the scale of pay on grant of Financial Upgradation under MACP Scheme and the pay will be fixed by the Head of Office in accordance with the option.

i i i) उपरोक्त कर्मचारी के विरुद्ध यदि कोई सतर्कता संबंधी मामला / अनुशासनात्मक कार्यवाही अथवा लंबित सजा का मामला है तब उन पर वित्तीय उन्नयन के आदेश कार्यान्वित नहीं मने जायेंगे |

If any Vigilance/disciplinary proceedings/Punishment etc. are pending against the above incumbent then the above mentioned orders will not be affected.

iv) एम.ए.सी.पी. योजना के अन्तर्गत उच्चतर वेतनमान दिया जाना इस तथ्य के अधीन होगा कि किसी कर्मचारी द्वारा उपर्युक्त लाभ स्वीकार किए जाते समय बाद में रिक्ति हो जाने पर, नियमित पदोन्नति के लिए अपनी अनर्ह स्वीकृति दे दी गयी मानी जाएगी |

The grant of higher pay scale under the MACP scheme will be subject to the fact that in case of vacancy at the time of acceptance of the above benefits by an employee, his disqualification will be considered for regular promotion.

iv) उपोरोक्त लाभ के कारण होने वाला व्यय गैर योजना बजट अनुदान 2021-22 से समायोजित किया जाएगा |

Expenditure involved on account of this benefit shall be adjusted from Non-plan Budget Grant for 2021-22.

4. <u>अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर पदोन्नति</u> PROMOTION TO THE POST OF OFFICER SURVEYOR ON REGULAR BASIS

भारत के महासर्वेक्षक के पत्र महासर्वेक्षक का पत्र के अनुसार निन्मलिखित ग्रुप 'बी'(अराजपत्रित) डिविजन-I को अधिकारी सर्वेक्षक के पद पर नियमित आधार पर वेतन मैट्रिक्स के लेवल 8 में उनके नाम के आगे वर्णित तिथि से पदोन्नति प्रदान की जाती है I

With the approval of the Surveyor General of India vide his letter, the undermentioned Group'B'(Non-Gazetted) Division-I is hereby promoted to the post of Officer Surveyor on regular basis in the level of Pay Matrix 8 with effect from the date shown against the name below:-

क्रम सं.	नाम एवं पदनाम	जिस पद पर	वेतन मैट्रिक्स	लागु होने की	प्राधिकार
Sl.No.	Name&	पदोन्नति की	में लेवल	तिथि	Authority
	Designation	जाती है	Level in	Date of	
		Post to	Pay	effect	
		which	Matrix		
		promoted			
1.	Shri Anup	Officer	Level 8	22.10.2021	No.C-
	Bhattacharjee,	Surveyor			4893/707
	Surveyor	-			(Coll.77)
	•				dated
					27.09.2021

ii) संबंधित सरकारी कर्मचारी को एफ0आर0 22 (I)(क)(1) के अनुसार वेतन नियतन हेतु विकल्प प्रस्तुत करना होगा जिसके आधार पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा उनका वेतन नियतन किया जायेगा |

The concerned Govt. Servant is required to exercise an option under

FR 22(I) (a) (1), on that basis Head of Office will fix/ regularize his pay in new level of Pay Matrix.

iii) प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाही / सतर्कता जांच/दण्ड लम्बित नहीं है |

Certified that no disciplinary proceeding /vigilance case/ punishment is pending against him.

iv) इस मद में होने वाले अतिरिक्त व्यय का वहन वर्ष 2021-22 के लिए संस्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जाएगा एवं उचित शीर्ष के नाम किया जाएगा |

The extra expenditure involved will be met from within the sanctioned budget grant for the Financial Year 2021-22 and debited to the appropriate Head of Account.

5. नगदी को संभलना भत्ता /CASH HANDLING ALLOWANCE

भारत सरकार, विज्ञान और प्राधोगिकी विभाग के पत्र सं.14-3-78-एस.एम.पी.-I दिनांक.28.03.1978 और भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग) का कार्यालय ज्ञापन संखा-4/6/2017-स्थापना (वेतन – II) दिनांक 18.01.2019 के अधीन पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम जी0डी0सी0, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कोलकाता के निम्नलिखित कर्मचारी को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई विवरणानुसार खंजाची का कार्य करने के लिए नकदी लेनदेन भत्ता प्रदान की जाती है I

In terms of Department of Science & Technology's letter No. 14-3-78-SMP-1 dated 28.03.1978 and Govt. of India, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pension (Department of Personnel & Training) O.M.No. 4/6/2017-Esst. (Pay-II) dated 18.01.2019, the under mentioned person of West Bengal & Sikkim Geo-Spatial Data Centre, Survey of India, Kolkata who is entrusted with the duties of Cashier is granted **CASH HANDLING ALLOWANCE** from the date mentioned against his name as under:-

क्रम	नाम एवं पदनाम	अवधि	नकदी लेनदेन भत्ता की	टिपण्णी
सं.	Name &	Period	राशि	Remarks
SI. No.	Designation		Amount of Cash Handling	
INO.			Allowance	
	Shri Tapas Mitra, Upper Division Clerk	18-10-2021 to 17- 10-2022	Rs.1000/- every month	

ii) प्रमाणित किया जाता है कि सरकारी कर्मचारी उनको नकदी लेनदेन भत्ता प्रदान करने समय उसने सभी आवश्यक शर्तें पूर्ण कर लिया है।

It is certified that the Govt. servant to whom Cash Handling Allowance granted herein has fulfilled all requisite conditions.

iii) उपोरोक्त लाभ के कारण होने वाला व्यय गैर योजना बजट अनुदान 2020-21 से समायोजित किया जाएगा | Expenditure involved on account of this benefit shall be adjusted from Non-plan Budget Grant for 2021-22.

6. इस कार्यालय में स्तानांतरण / TRANSFER IN

क्रम सं	नाम	पदनाम	किस कार्यालय से	स्तानांतरण की	प्राधिकार
1		-			
Sl.No.	NAME	Designation	स्तानान्तरित हुआ	तिथि	Authority
			Office from	Date of	
			which	transfer	
			transferred		
1.	Shri Anup	Surveyor	M & AP GDC,	22-10-2021	महासर्वेक्षक का पत्र
	Bhattacharjee	,	Shillong	(A/N)	सं.सी-4893/
			J	(- 4,)	707/Col.77
					दिनांक.
					27.09.2021

7. <u>इस कार्यालय से स्तानांतरण / TRANSFER OUT</u>

क्रम सं	नाम	पदनाम	किस कार्यालय में	स्तानांतरण की	प्राधिकार
Sl.No.	NAME	Designation	स्तानान्तरित हुआ	तिथि	Authority
			Office where	Date of	
			transferred	transfer	
1.	Shri Himadri	Surveyor	Jharkhand	22-11-	महासर्वेक्षक का पत्र
	Shekhar		GDC, Ranchi	2021	सं.सी-4893/
	Chakraborty			(पूर्वान्ह)	707/Col.77
				(F/N)	दिनांक.
					27.09.2021 &
					सं.सी-5371/707/
					Col.77
					दिनांक.
					29.10.2021
2.	Shri Ansuman	Surveyor	M & AP GDC,	22-11-	महासर्वेक्षक का पत्र
	Sarkar		Shillong	2021	सं.सी-4893/
				(अपरान्ह)	707/Col.77
				`(A/N)	दिनांक.
				(- 47	27.09.2021

8. सेवानिवृत्ति / RETIREMENT

इस कार्यालय के अधोलिखित कर्मचारी, उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथि से सेवानिवृत्त हुए | The undermentioned personnel of this GDC are retired on Superannuation with effect from the date shown against their name as mentioned below:-

क्रम सं	नाम और पदनाम	सेवानिवृत्ति की तारीख	
Sl.No.	Name & Designation	Date of Retirement	
	Shri Shibaprasad Dey, Officer Surveyor	30-09-2021 (अपरान्ह) (A/N)	
	Shri Shyamal Kanti Basu, Asstt. Store Officer	31-10-2021 (अपरान्ह) (A/N)	

(कर्नल रजत शर्मा/ COL RAJAT SHARMA)

निदेशक / DIRECTOR पश्चिम बंगाल एब सिक्किम जीडीसी, कोलकाता W.B. & SIKKIM GDC, KOLKATA

वितरण:

- 1. भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
 - 2. अपर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र कार्यालय, कोलकाता को सूचनार्थ प्रेषित
 - 3. वेबसाईट एडमिनिस्ट्रेटर, भारतीय सर्वेक्षण विभाग को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
 - 4. प्रभारी लेखा
 - 5. फाईल- सम्बंधित कर्मचारी की व्यक्तिगत फाईल/सेवा पंजिका।
 - 6. नोटिस बोर्ड।